राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (504–जीएनएम भर्ती) एनएचएम/एचआरडी/2019/293 दिनांकः 25/2/2019

संविदा जीएनएम/नर्स ग्रेड द्वितीय के पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन की सूचना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा जीएनएम/नर्स ग्रेड द्वितीय की भर्ती हेतु SIHFW द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 2038 दिनांक 28.01.2016 के क्रम मे आयोजित ऑनलाईन परीक्षा का परिणाम (परसेन्टाईल) विभागीय वेबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** पर जारी किया जा चुका है। जारी परिणाम पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त अभ्यार्थियो के दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिनांक 05.03.2019 से दिनांक 15.03.2019 तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जा रहा है, जिसका अभ्यर्थीवार विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। दस्तावेज सत्यापन के लिये बुलवाये गये समस्त अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक व समय (संलग्न कार्यक्रमानुसार) पर समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं इनकी एक–एक प्रतिलिपि (स्व–हस्ताक्षरित) के साथ **राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, सीफू (SIHFW), दूरदर्शन केन्द्र के पास, झालाना डूंगरी, जयपुर** में उपस्थित होना सुनिश्चित करावे।

दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांकवार/अभ्यर्थीवार कार्यक्रम विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर जारी किया गया है। अभ्यर्थी कार्यक्रम अनुसार अपने नाम के सम्मुख उल्लेखित दिनांक एवं समय पर नियत स्थान राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, सीफू (SIHFW), दूरदर्शन केन्द्र के पास, झालाना डूंगरी, जयपुर पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त अभ्यर्थी सभी आवश्यक मूल दस्तावेज एवं इनकी एक–एक प्रतिलिपि (स्व–हस्ताक्षरित) अपने साथ अनिवार्य रूप से लेकर आवें। **(आवश्यक दस्तावेजों की सूची का विवरण संलग्न है)**

दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज विज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार पूर्ण नही पाए जाते है एवं जो अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक व समय पर दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहते है, ऐसे अभ्यर्थियो को चयन प्रक्रिया हेतु पात्र नही माना जावेगा।

नोटः–

निःशक्तजन/दिव्यांग (Physically Handicapped) कैटेगरी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की जांच हेतु निर्धारित कार्यक्रम एवं स्थान (Venue) की सूचना पृथक से विभागीय बेवसाइट www.rajswasthya.nic.in पर जारी की जायेगी।

समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे भर्ती की शेष कार्यवाही के सम्बन्ध में अद्यतन सूचनाओ के लिये आवश्यक रूप से प्रतिदिन विभागीय बेवसाइट **www.rajswasthya.nic.in** का अवलोकन करें।

संलग्नः–

1. दिनांकवार/समयवार दस्तावेज सत्यापन के लिये बुलवाये गये अभ्यर्थियों की सूची।
2. दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक दस्तावेजों का विवरण।
3. शपथ पत्र का प्रारूप।

(डॉ0 समित शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

Scanned by CamScanner

दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेजों का विवरण

समस्त अभ्यर्थी निम्नानुसार वर्णित सभी मूल दस्तावेज एवं इनकी एक–एक प्रतिलिपि (स्व–हस्ताक्षरित) दस्तावेज सत्यापन के समय अपने साथ अनिवार्य रूप से लेकर आवें।

समस्त मूल दस्तावेजों एवं इनकी प्रतिलिपियों को पृथक– पृथक इस कम में व्यवस्थित करे।

1. **Application form**
   आवेदन पत्र
2. **Bonafide Certificate**
   मूल निवास प्रमाण पत्र
3. **Caste Certificate**
   जाति प्रमाण पत्र
4. **TSP/Seheria Caste Certificate**
   टी.एस.पी क्षेत्र के निवासी होने/ सहरीया जाति प्रमाण पत्र
5. **10th Board Certificate Or Mark Sheet**
   10वीं बोर्ड की अंक तालिका अथवा बोर्ड का सर्टिफिकेट
6. **12th Board Certificate Or Mark Sheet**
   12वीं बोर्ड की अंक तालिका अथवा बोर्ड का सर्टिफिकेट
7. **Professional Qualification Certificate**
   जी.एन.एम प्रशिक्षण कोर्स अथवा समकक्ष योग्यता का सर्टिफिकेट
8. **Professional Qualification Marks sheet**
   जी.एन.एम प्रशिक्षण कोर्स अथवा समकक्ष योग्यता से संबंधित सभी परीक्षाओं की मूल अंक तालिकाएं
9. **Internship completion certificate (On or before 12.02.16)**
   इंर्टनशिप पूर्ण होने का प्रमाण पत्र (जो 12.02.16 अथवा इससे पूर्व का हो)
10. **Valid Registration from concerned Board/Council/Application slip**
   - ➢ राजस्थान नर्सिग काउन्सिल के द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
   - ➢ यदि अभ्यर्थी के पास 26.02.2016 को अथवा इससे पूर्व राजस्थान नर्सिग काउन्सिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नही है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज साथ लाने आवश्यक होंगे:–
     - राजस्थान नर्सिग काउन्सिल में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की रसीद (जो दिनांक 26.02.2016 अथवा इससे पूर्व की हो साथ लाना आवश्यक होगा)

       एवं

     - राजस्थान नर्सिग काउन्सिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो दस्तावेज सत्यापन आरम्भ होने की दिनांक 05.03.2019 अथवा इससे पूर्व जारी किया गया हो।
11. **Marriage Certificate**
   विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
12. **Widow (Death Certificate) /Annulled Marriage Proof (Decree)**
   विधवा (पति का मृत्यू प्रमाण पत्र)/परित्यक्ता प्रमाण पत्र (डिक्री–माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी)
13. **Ex-Servicemen Proof**
   भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र
14. **Sports Person Proof**
   उत्कृष्ट खिलाडी का मान्य प्रमाण पत्र
15. **Disability Certificate**
   विकलांगता प्रमाण पत्र
16. **Affidavit (In attached format)**
   शपथ पत्र (संलग्न प्रपत्र में)
17. **Photo ID**
   फोटो आई.डी.
18. **Colour Photograph**
   कलर फोटोग्राफ

Scanned by CamScanner

रू.10/– मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा–शपथ पत्र का प्रारूप

शपथपत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....

निवासी ....

....

शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ –

1) कि, 01 जून 2002 से पूर्व मेरे जीवित बच्चों की संख्या .... है एवं 01 जून 2002 के पश्चात् मेरे जीवित बच्चों की संख्या .... है। दिनांक 01 जून 2002 के पश्चात् दूसरा बच्चा जुडवां है/नहीं है।

2) कि, मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं है, न ही ऐसे किसी प्रकरण में मैं वांछित हूँ और न ही मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है।

3) कि, (विवाहित होने की स्थिति में) मेरे अथवा मेरे परिजन द्वारा किसी भी रूप में न तो दहेज लिया गया है न दिया गया है,

अथवा

(अविवाहित होने की स्थिति में) मेरे अथवा मेरे परिजन द्वारा किसी भी रूप में न तो दहेज स्वीकार किया जायेगा न दिया जायेगा,

4) कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त मूल दस्तावेज पूर्णतः सही है एवं इन्हें किसी भी प्रकार से कूटरचित नहीं किया गया है।

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

नाम

सत्यापन

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..शपथ लेता हूँ/लेती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है और इसमे कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य पाया जाता है तो मेरी इस भर्ती हेतु पात्रता समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

नाम

Scanned by CamScanner